
श्री अशोक शिवा मिश्रा जज, उच्च न्यायालय, दिल्ली

श्री अशोक शिवा (श्री अशोक शिवा)

जज


मुल बाइचर सं 10/10

M.A.C.P. No. 2/2/07

श्री अशोक शिवा vs. श्री अशोक शिवा

जज बाइचर सं 28.7.10





केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापस दिये जाने की तारीख	नकल वापस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
12.12.17	12.12.17	12.12.17	

~~99/11607~~
86/12.12.17

अमानत एफ.ए.सी.ए.सी. अमानत

सुट वारं नं. 10/10

9/10

MAEP. 21/10/07

विद्युत वित्त नि.अ.स. नि.स.स.स.स.

28-07-2010

इसतगत पूर्णभुगतान प्रार्थना-पत्र आवेक विद्युत वित्त नि.अ.स. द्वारा मोटर वृधटना प्रतिकर वारिका संख्या-212/07 में पारित निर्णय क्रि.सं. 04.11.09 द्वारा अभिनर्णित क्षराशिता मु.71,300/- न्यायाधीकरण में विपक्षी संख्या-5 वि.सं. 31/07/09 इश्योरिन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा जमा की गई है, के पूर्णभुगतान हेतु दिया गया है, किंतु इस न्यायाधीकरण के दौरान में यह आया है, कि वापी विद्युत वित्त नि.अ.स. ने माननीय उच्च न्यायालय से प्रसंगत अभिनर्णय से भुख्य होकर उसके विरुद्ध प्रथम अपील संख्या-434/2010 प्रस्तुत किया है, जिसमें अभिनर्णय को निरस्त करने व क्षतिपूर्ति की क्षराशिता को बढ़ाने हेतु अनुरोध चाहा है। क्षतिपूर्ति की क्षराशिता की अदायगी हेतु माननाय उच्च न्यायालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अतः एफ.ए.सी.ए.सी. के निर्णय के पूर्व क्षतिपूर्ति की क्षराशिता वापी को भुगतान किया जाना उचित नहीं होगा। अतः वापी/आवेक को निर्देशित किया जाता है, कि इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय का रफट दिशा निर्देश प्रस्तुत करें, ताकि आदेश पारित किया जा सके।


(Signature)
 ॥ राम अचल शर्मा ॥
 7/10

विद्युत वित्त नि.अ.स. द्वारा अदायगी हेतु अफीक वारणगती।

(Signature)
 2/10/10

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक
 दीवानी न्यायालय, वाराणसी



(Handwritten notes and scribbles)